

188.241 हे० वन भूमि वन विभाग को वापस किए जाने संबंधी प्रमाण- पत्र

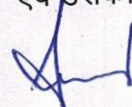
प्रमाणित किया जाता है कि एन०टी०पी०सी० रिहंदनगर बीजपुर, जिला-सोनभद्र द्वारा रेनुकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अन्तर्गत ग्राम-बीजपुर, डोड़हर, अधौरा, मिटिहिनी, खैरी, सिरसोती, झीलो एवं खम्हरिया कि 961.620 हे० वन भूमि रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए हस्तांतरण हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के आधार पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के आदेश संख्या-412/89 एफ०सी० दिनांक-23.08.1991 द्वारा 744 हे० वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु दो शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया।

उक्त 744 हे० वन भूमि के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज जोर बाग रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ०नं० 8-412/1989-एफ०सी०(पी०टी०) दिनांक-06 दिसंबर 2017 व इसके क्रम में दिनांक 14.12.2017 को मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या -1404/11 सी लखनऊ दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन में एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में लायी जा रही 555.759 हे० वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है तथा $(744-555.759)=188.241$ हे० वन भूमि वन विभाग को वापस किया गया है। अभिलेख संलग्न है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
जरहाँ रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग
सोनभद्र


(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

एनटीपीसी/रिहंद नगर के लिए
एवं उसकी ओर से



(अनित कुमार)

उपमहाप्रबंधक (मा०सं०)

अनित कुमार/ANIT KUMAR

उप महाप्रबंधक (मा० सं०)/DGM (H.R.)

एनटीपीसी-रिहंदनगर/NTPC-Rihandnagar

सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के जरहा रेंज अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला-सोनभद्र के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण भवन सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स लोदी रोड नई दिल्ली के पत्र संख्या- 8-412/89-एफ0सी0 दिनांक-23.08.1991 द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत 744.00 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस लिया जाना ।

प्रश्नगत प्रकरण में एफ0ए0सी0 की बैठक दिनांक- 16.11.2017 व बैठक के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली का पत्र संख्या-8-412/1989- एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक- 06.12.2017 व इसके क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर-बीजपुर, जिला-सोनभद्र के वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में दिनांक-14.12.2017 को सम्पन्न हुयी बैठक के कार्यवृत्त संबंधी पत्रांक-1607/11-सी-बैठक दिनांक-12/14.12.2017 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे :-

1-भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक- 23.08.1991 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त 744 हे0 वन भूमि में से एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही है वन भूमि का मौके पर चिन्हांकन करते हुये कुल वास्तविक संशोधित वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्ताव एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार उक्त वन भूमि का जियो रिफरेंस डिजिटल मैप, के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 एवं एस0ओ0आई0 टोपोशीट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

2- एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपरोक्तानुसार उपयोग में लाई जा रही संशोधित चिन्हित वन भूमि का Land use define करेंगे ।

3- एन0टी0पी0सी0 द्वारा उपयोग में लाई जा रही संशोधित वन भूमि के अतिरिक्त उपयोग में ना लाई जा रही वन भूमि को वन विभाग के पक्ष में वापस करनी होगी, जिस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर द्वारा हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी ।

4- एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में शुद्ध वर्तमान मूल्य को पूर्व में जमा की गई शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि से समायोजित किया जायेगा ।

5- संशोधित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षतिपूर्ति हेतु दूगने अवतन वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित आवश्यक धनराशि वर्तमान संशोधित दर के अनुसार मॉग की जायेगी, जिसमें एन0टी0पी0सी0 द्वारा पूर्व में जमा की गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को समायोजित किया जायेगा ।

6- एन0टी0पी0सी0 द्वारा संशोधित वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा ।

7- एन0टी0पी0सी0 के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक- 23.08.1991 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जायेगी ।

8- भारत सरकार के पत्र दिनांक- 06.12.2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में एन0टी0पी0सी0 को निर्देशित किया गया कि वन सलाहकार समिति के निर्णय के अनुपालन में एश ड्राईक को छोड़े गये खनन क्षेत्रों में डमप करने से हेवी मेटल के रिहन्द जलाशय में लीच करने की सम्भावना पर एक अध्ययन National Economic and Environmental Research Institute, Nagpur से तत्काल कराते हुये उनकी रिपोर्ट इस कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा ।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में एन0टी0पी0सी0 के नामित अधिकारियों के साथ विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी जरहा एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी म्योरपुर द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया । संयुक्त निरीक्षणोपरान्त स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :-

(1) भारत सरकार द्वारा उक्त बिन्दु संख्या-1 में अंकित 744 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक- 23.08.1991 को जारी की गयी । उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश में अंकित 744

(मनमोहन मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
जरहा रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग
सोनभद्र

30/03/2022

30/03/2022

20/04/2022

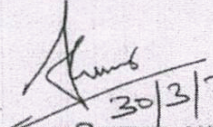
6

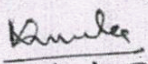
हे० वन भूमि में से 555.759 हे० (धारा-4 में विज्ञापित वन भूमि) का उपयोग एन०टी०पी०सी० द्वारा गैर वानिकी 405 प्रयोजन हेतु किया जा रहा है तथा (744 हे०-555.759 हे०) 188.241 हे० (धारा-20 में विज्ञापित वन भूमि) का उपयोग एन०टी०पी०सी० द्वारा नहीं की जा रही है जिसका ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है :-

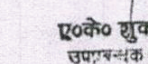
क्र० सं०	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल(हे०मे)	जी०पी०एस०लोकेशन के अनुसार मौके पर बनाये गये कुल पैचो की संख्या
1	मिटिहिनी	27.726	01
2	खम्हरिया	13.001	01
3	झीलो	147.514	01 से 06 तक
योग-		188.241	

(2) एन०टी०पी०सी० द्वारा उपयोग में ना लाई जा रही उक्त 188.241 हे० धारा-20 में विज्ञापित वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है तथा वनीकरण हेतु उपयुक्त है, जिसे मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक- 2400/11-सी दिनांक- 16.02.2022 व मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक- 4109/मी०क्षे०/33 दिनांक- 23.03.2022 के अनुपालन में आज दिनांक- 30/3/2022 को रेनुकूट वन प्रभाग के पक्ष में एन०टी०पी०सी० से वापस कब्जा लिया जाता है। कब्जा लिये गये 188.241 हे० वन भूमि पर कोई अतिक्रमण न हो इसका पूर्ण नियंत्रण क्षेत्रीय वन अधिकारी जरहा की होगी।

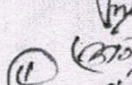
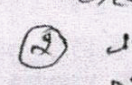
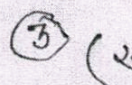
कब्जा सौंपने वाले अधिकारी


30/3/22
अनिल कुमार / ANIL KUMAR
उप महाप्रबंधक (मा० सं०)/DGM (H.R.)
एन०टी०पी०सी० लि० रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223


30/3/2022
Arvind Kumar Shukla
Dy Manager
NTPC - Rihand Nagar


ए०के० शुक्ल / A.K. SHUKLA
उप महाप्रबंधक (मा० सं०-सी०एस०आर)
Dy. Manager (HR-CSR)
एन०टी०पी०सी० लि० रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223

कब्जा प्राप्त करने वाले अधिकारी

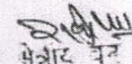
- (1) 
कब्जा सौंपने वाले अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- (2) 
उ०प्र० लखनऊ
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- (3) 
ए०के० शुक्ल / A.K. SHUKLA
उप महाप्रबंधक (मा० सं०-सी०एस०आर)
Dy. Manager (HR-CSR)
एन०टी०पी०सी० लि० रिहंद/NTPC Ltd. Rihand
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट-सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी अनिल कुमार / ANIL KUMAR
जरहॉ रेन्ज उप महाप्रबंधक (मा० सं०)/DGM (H.R.)
रेनुकूट वन प्रभाग एन०टी०पी०सी०-रिहंद नगर, NTPC-Rihandnagar
सोनभद्र (उ०प्र०)/Sonebhadra (U.P.) 231223

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट-सोनभद्र


क्षेत्रीय वन अधिकारी
जरहॉ रेन्ज
रेनुकूट वन प्रभाग
रेनुकूट